बिहार विधान परिषद्

190वां सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग – 4

वृहस्पतिवार, तिथि 8 अग्रहायण, 1940 (श.)
29 नवम्बर, 2018 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 10

1.	लघु जल संसाधन विभाग	-	-	02
2.	गृह (आरक्षी) विभाग	-	-	04
3.	गृह (कारा) विभाग	-	-	01
4.	परिवहन विभाग	-	-	02
5.	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	-	-	01
			कुल योग –	10

नलकूप चालू कबतक

19. **श्री रामचन्द्र पूर्वे** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत सोनबरसा एवं परिहार प्रखंड के 55 (पचपन) राजकीय नलकूप यांत्रिक एवं विद्युत दोष के कारण पिछले दस वर्षों से बंद हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो इन बंद नलकूपों को सरकार कब तक चालू करायेगी?

गठन की कार्रवाई

20. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार के अपराधग्रस्त 341 थाने में से राजधानी पटना से सटे बिहटा थाना राज्य का सबसे अधिक अपराध प्रभावित थाना हो गया है और वर्ष 2017 के आंकड़ों में बिहटा में एक साल में 1123 संज्ञेय अपराध के मामले दर्ज हुए हैं जिनमें अपहरण, बलात्कार, डकैती, लूट, दहेज, धोखाधड़ी एवं अन्य आपराधिक मामले शामिल हैं;

(ख) क्या यह सही है कि बिहटा सहित अन्य थानों में गंभीर आपराधिक मामलों की जांच की गति धीमी रहने से अपराधियों का मनोबल और बढ़ता नजर आ रहा है और आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अपराधग्रस्त थानों में दर्ज केसों की जांच में तत्परता लाने हेतु विशेष अपराध जांच इकाई के गठन की कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पदाधिकारियों एवं सुरक्षाकर्मियों पर कार्रवाई

21. **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, गृह (कारा) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि प्रधान सचिव, गृह विभाग के निदेश पर दिनांक 09.10.2018 को राज्य के विभिन्न जेलों में की गई छापेमारी में मोबाइल, गांजा, चाकू एवं अन्य आपत्तिजनक सामान कैदियों के पास से बरामद किए गए;

(ख) क्या यह सही है कि कैदियों के पास ये सभी आपत्तिजनक सामग्रियां जेल प्रशासन एवं सुरक्षाकर्मियों की मिलीभगत के बगैर नहीं पहुंच सकती हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो इस मामले में दोषी कारा पदाधिकारियों एवं सुरक्षाकर्मियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कौन-सी कारगर कार्रवाई की गई है, यदि नहीं तो क्यों?

बसों का रुकाव

22. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वर्ष 2015 में 13.72 करोड़ की लागत से पटना के विभिन्न इलाकों में 117 बस क्यू शेल्टर बनाये गये हैं जहां बसों को रुकना है;

(ख) क्या यह सही है कि शहर में चलने वाली बसें इन शेल्टर पर रुकाव नहीं लेती हैं, बल्कि जहां पैसेंजर ने हाथ दिया, वहीं बस रोक दिया और जहां उतरना चाहा, वहीं उतर गए;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त कारणवश पीछे से आने वाले चालकों को काफी परेशानी होती है और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है;

(घ) क्या यह सही है कि बस नहीं रुकने के कारण शेल्टरों पर इन्तजार कर रहे लोगों को काफी परेशानी हो रही है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बस क्यू शेल्टर पर ही बसों का रुकाव अनिवार्य करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

पुलिसकर्मियों / अधिकारियों पर कार्रवाई

23. **श्री प्रेमचन्द मिश्रा** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार पुलिस मैनुअल्स के अनुसार प्रदर्शनकारियों को रोकने या भीड़ को हटाने के लिए पुलिस द्वारा किसी भी प्रदर्शनकारी के शरीर पर लाठीचार्ज करने की स्थिति में इस बात का प्रावधान है कि लाठी घुटने के नीचे मारी जाए;

(ख) क्या यह सही है कि लाठीचार्ज से पूर्व प्रदर्शनकारियों को चेतावनी देना, पानी का फव्वारा छोड़ना आवश्यक है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार को बताना चाहिए कि विगत 21 सितम्बर को पटना में सवर्ण प्रदर्शनकारी और 10 नवम्बर को कुशवाहा समाज के प्रदर्शनकारियों के शरीर के ऊपरी हिस्सों खासकर सिर पर लाठी प्रहार करना क्या पुलिस मैनुअल्स के खिलाफ नहीं है, अगर है तो क्या इसके जिम्मेवार पुलिसकर्मियों, अधिकारियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी, यदि हां तो कबतक?

बस मालिकों की मनमानी

24. **श्री वीरेन्द्र नारायण यादव** : क्या मंत्री, परिवहन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार में बस मालिकों एवं टेम्पो चालकों की मनमानी के कारण आम लोग परेशान हैं और इनकी मनमर्जी के कारण यात्रियों की जेब ढीली हो रही है;

(ख) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल एंव डीजल में पांच रुपये की कमी की है लेकिन बस मालिक एवं टेम्पो चालक इसका लाभ यात्रियों को नहीं दे रहे हैं, फिर भी विभाग मौन है;

(ग) क्या यह सही है कि पटना से दरभंगा का भाड़ा पहले 130 रुपये था लेकिन 180 रुपये कर दिया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लोकहित में ऐसे बस मालिकों एवं यात्री वाहन मालिकों की मनमानी पर नकेल कसने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

राशि का भुगतान

25. **श्री सुबोध कुमार** : क्या मंत्री, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य में सरकार द्वारा पूर्ण शराबबंदी के पश्चात शराब व्यवसायियों द्वारा शराब का निर्माण एवं बिक्री पूर्णत: बंद कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि शराब व्यवसायियों द्वारा सरकार को अग्रिम बिक्री कर आयात शुल्क एवं एल.एस.पी.-2016-17 के रूप में 10 (दस) लाख रुपये जमा किया गया था;

(ग) क्या यह सही है कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी के दो वर्ष बीत जाने के बाद भी व्यवसायियों द्वारा जमा की गयी राशि एवं तैयार कर दिये गये माल की राशि का भुगतान आज तक नहीं किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शराब व्यवसायियों द्वारा अग्रिम बिक्री कर, आयात शुल्क एवं एल.एस.पी.-16-17 के रूप में जमा की गयी राशि एवं तैयार कर दिये गये माल की राशि का सूद सहित भुगतान करते हुए विलंब के दोषियों को दंडित करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

तृतीय ए.सी.पी. का लाभ

26. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक-696, दिनांक 25.06.2017 द्वारा सेवानिवृत्त एवं अन्य कार्यरत नलकूप चालकों को तृतीय ए.सी.पी. का लाभ देने हेतु सेवापुस्ति अधीक्षण अभियंता, मुंगेर को भेजी गई है;

(ख) क्या यह सही है कि एक वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद अधीक्षण अभियंता, मुंगेर एवं मुख्य अभियंता, भागलपुर द्वारा इन कर्मियों को तृतीय ए.सी.पी. का लाभ अबतक नहीं दिया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि खंड 'क' में वर्णित इन कर्मियों को एक वर्ष बीत जाने के बावजूद भी तृतीय ए.सी.पी. का लाभ अधीक्षण अभियंता, मुंगेर एवं मुख्य अभियंता, भागलपुर द्वारा नहीं दिये जाने का क्या औचित्य है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त विषय से संबंधित पदाधिकारियों पर अविलम्ब कार्रवाई करते हुए इन कर्मियों को तृतीय ए.सी.पी. का लाभ देना चाहती है?

अपराधियों की गिरफ्तारी

27. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत थाना-सकरा, ग्राम-रामनगर निवासी सुश्री नंदनी कुमारी (नाबालिग), पिता-श्री रविनाथ झा का अपहरण दिनांक 25.10.2018 को उसी ग्राम के निवासी श्री अभिषेक महतो उर्फ ढेला, पिता-श्री अनिल महतो एवं अंकित कुमार, पिता-श्री मोहन साह द्वारा कर लिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि अपहृत लड़की के पिता श्री झा द्वारा इसकी प्राथमिकी सकरा थाना में कांड सं.-471/18, दिनांक 26.10.2018 दर्ज कराया गया है, लेकिन उक्त दोनों नामित अपराधी सरेआम गांव में नंगा नाच कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धर कर बैठी हुई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त दोनों अपराधियों की गिरफ्तारी, कुर्की-जब्ती एंव अपहृत लड़की की बरामदगी करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

घटनाओं पर नियंत्रण

28. **श्री रामचन्द्र पूर्वे** : क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत विभिन्न थाना क्षेत्रों में वर्ष 2018 माह जनवरी से 9 नवम्बर, 2018 तक भीषण डकैती की कुल ग्यारह घटनाएं हुई हैं, जिनमें लाखों की सम्पत्ति लूटी गई तथा कई गृह स्वामियों एवं उनके परिजनों को गंभीर रूप से जख्मी भी कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि डकैती के अधिकांश वारदात सीतामढ़ी जिला की उत्तरी सीमा के समीप ही हुई है, जबकि वहां पुलिस बल के अतिरिक्त सशस्त्र सीमा बल की भी तैनाती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो इन क्षेत्रों में डकैती, लूटपाट, राहजनी आदि की घटनाओं के नियंत्रित नहीं होने का क्या कारण है?

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्

पटना
दिनांक : 29 नवम्बर, 2018